

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वार संख्या-५४८/७-१०

दिनांक

आदेश फलक

अभियुक्त

६.३.२०२०

वार का प्रकार- बिहार (शास्त्रज्ञ) भूमि सुधार अधियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जीव एवं कारिता है संबंधित।

शास्त्रज्ञ सरकार के शास्त्र-२०७४/८०, दिनांक-१३.०५.२०१६ राहपत्रित- श्री अनुज मुख्यमंत्री, विदेशक, भू-अजीव-सह-विशेष संग्रह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रब्रह्म-३-व्यापारान्विति-११९/८५/२३०८/८०, दिनांक-०३.०९.१९८५ एवं सह-पत्रित राजस्व विभागीय पत्रिपत्र संख्या-११४/८०, दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित विदेश के अनुपालन में गैरमज़रूर्या व्यास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जीव प्ररक्षा की गयी। जीव के कम से हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिनियम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि विवरणी की भूमि नोटिस धारा नं- ११७ खाता संख्या- १० लौट संख्या- ११७ रकमा- ३१५० एकड़ की भूमि जो गैरमज़रूर्या व्यास, अनाब्राव बिहार (शास्त्रज्ञ) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस भौजा के पंजी-॥ के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- १८८ पर जमाबंदी ऐति नोटिस प्रिटा फिल्म्स के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जीवोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जीव प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी द्विना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अदैध बंदोवस्ती के आधार पर/अदैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अदैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुक्मनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उपेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारिता करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सुनित जमाबंदी अदैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (शास्त्रज्ञ) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जमाबंदी को अदैध मानते हुए इसे बिहार (शास्त्रज्ञ) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशस्ति किया जाय।

अतएव संबंधित जमाबंदी ऐति को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित भूल दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण-पृच्छा करे, कि वही नहीं उक्त जमाबंदी को अदैध मानते हुए इसे बिहार (शास्त्रज्ञ) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशस्ति किया जाय।

अभिलेख दिनांक- २०.३.२०२० को उपस्थापित करे।

०६५०
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्ता भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशांसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहता को भेजे।

20/3/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर